

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

तृतीय मंजिल, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर-302005
CIN : U75132RJ1978SGC001781, Website- www.rajseeds.org
Phone No. (0141) 5106516

वाहन टैक्सी मॉग आधार पर उपलब्ध कराने हेतु कोटेशन प्रस्ताव

1. फर्म का नाम
2. फर्म का पूर्ण पता
3. दूरभाष संख्या
4. स्थायी आयकर खाता संख्या
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
5. सर्विस टैक्स पंजियन संख्या
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. प्रस्तावित दरें पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिये मान्य होगी एवं सलग्न शर्तें मान्य होगी।
7. निगम को प्रस्ताव स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।

आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराने हेतु दर प्रस्ताव

निविदा की शर्तों की पालना करते हुए मैं/हम निम्न वाहन/टैक्सी हेतु निम्नलिखित दर प्रस्तुत करते हैं :-

क्र.सं.	वाहन का प्रकार	दर प्रति किमी.		विशेष विवरण	रात्रि चार्ज
		AC	NON -AC		
1.	इन्डिगो				
2.	इनोवा				
3.	स्विफ्ट डिजायर				
4.	मारुति अरटिगा				

+ सेवा कर/जी.एस.टी यथालागु अतिरिक्त देय होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता
पूरा नाम मय पता व फर्म की सील



राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

तृतीय मंजिल, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर-302005
CIN : U75132RJ1978SGC001781, Website- www.rajseeds.org
Phone No. (0141) 5106516

नियम एवं शर्तें

1. आवश्यकतानुसार वाहन मॉगने पर वाहन तुरन्त उपलब्ध कराना होगा।
2. धरोहर राशि कार्यआदेश अनुसार 5 प्रतिशत जमा करानी होगी।
3. किसी प्रकार की टूटफूट होने पर या दुर्घटना होने पर राजस्थान राज्य बीज निगम उत्तरदायी नहीं होगा। इस सबकी जवाबदेही वाहन मालिक की होगी।
4. वाहन की दुर्घटनाग्रस्त होने पर या यातायात नियमों की अवहेलना के फलस्वरूप कार्यवाही/चालान होने पर वाहन मालिक की ही जिम्मेदारी होगी एवं निगम इसका किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं देगा।
5. वाहन की टंकी में ईंधन फुल करवाकर वाहन को भिजवाना होगा।
6. वाहन में लगा मीटर सील किया हुआ होना आवश्यक है जो कि बिना किसी अधिकृत अधिकारी की स्वीकृति बिना नहीं खोला जावेगा। यदि ऐसा पाया गया तो भुगतान संभव नहीं होगा।
7. सेवाकर/जी.एस.टी का यथा लागु अतिरिक्त होगा, जिसे बिल में चार्ज करना होगा। उक्त सेवा कर/जी.एस.टी यथा लागु को कटौति कर निगम स्तर से जमा करवाया जायेगा।
8. सेवा कर/जी.एस.टी. के अतिरिक्त समस्त प्रकार के करों का दायित्व वाहन मालिक का होगा।
9. राजस्थान राज्य बीज निगम की शर्तों एवं नियमों के अलावा कोई शर्त मान्य नहीं होगी।
10. वांछित दस्तावेज निविदा फार्म के साथ संलग्न कर नहीं किये जाने की स्थिति में निविदादाताओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
11. आवश्यकता के अनुसार वाहन उपलब्ध करवाने पर न्यूनतम 250 किलोमीटर प्रतिदिन का भुगतान किया जावेगा।
12. वाहन के निविदादाता के गेरेज से चलकर आने वाली टैक्सी के किलोमीटर को जोडकर गणना की जायेगी। (अधिकतम 15 किमी एकसाईड)
13. किसी भी तरह विवाद की स्थिति में RTPP ACT के अनुसार प्रमुख शासन सचिव(कृषि) अपील अधिकारी होंगे।
14. न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर